(ङ) क्या यह सच है कि 1989 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कम थी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुपत्र में दर्शाई गई है ।

[देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र सं० 48]

(ग) और (घ) खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करने के दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया गया है अथवा दोषी व्यक्तियों को प्रत्येक मामले के गुण और परिस्थितियों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है ।

(ङ) वर्ष 1986 से 1989 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

| वर्ष | जांच किए गए नमूनों की सं० |
|---|---|
| 1986 | 1,21,969 |
| 1987 | 1,31,391 |
| 1988 | 1,30,390 |
| 1989 | 1,21,906 |

वर्ष 1989 के लिए सूचना, चार राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र, नामत: हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और जम्मू व कश्मीर (कश्मीर प्रभाग), के स्पष्टीकरणों/सूचना के अभाव में अपूर्ण है । अत: पिछले वर्षों से 1989 के आंकड़ों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है ।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य योजनायें**

1930. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी योजनायें उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर एवं मऊ जिलों में लागू की गई एवं उनके प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग लक्ष्य क्या थे ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कहां तक लक्ष्य की प्राप्ति की गई और उस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के संबंध आठवीं योजना में कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है, और उसके योजनावार लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तरादेवी सिद्धार्थ)** : (क) और (ख) आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्कीम के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप-योजना व विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटन किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों से संबंधित योजनाओं के लिए निम्नलिखित आवंटन किए गये थे :—

| जनजाति उप-योजना | विशेष घटक योजना |
|---|---|
| 172.26 लाख रुपए | 1026.79 लाख रुपए |

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।